अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या – 263 /2013–14

श्री रामबहादुर मंडल बनाम राम दहीन मंडल वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अवलोकन किया।

आवेदक रामबहादुर मंडल उर्फ बहादुर मंडल पिता– स्व0 नन्दलाल मंडल ग्राम– रजवाड़ा बैधनाथपुर पोस्ट– इनाई थाना वो अंचल– बहेड़ी जिला– दरभंगा के आवेदन दिनांक 09.07.213 पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए इस वाद की प्रविष्टि की गई है। इस वाद में रामदहीन मंडल, शिव मंडल, राजी मंडल एवं बुची मंडल चारो पिता– स्व0 उचित मंडल ग्राम– रजवाड़ा बैधनाथपुर पोस्ट– इनाई थाना एवं अंचल– बहेड़ी जिला– दरभंगा के निवासी विपक्षीगण हैं तथा विवाद के अन्तर्गत मौजा– हावीडीह थाना नं0– 115 में अवस्थित अद्योलिखित ब्योरे की भूमि है :–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
214 (नया)	17997 (नया)	07 डी0	उ0– रास्ता
			द0– सीया मंडल व सीताराम मंडल
			पू0– अधिक लाल व धोबी मंडल
			प0– रामसेवक महतो

आवेदक ने अपने वाद पत्र को शपथ पत्र से समर्थित करते हुए अधिनियम द्वारा निर्धारित न्याय शुल्क मो0– 100=00 रूपया फ्रेकिंग मशीन सं0– 3356 से दिनांक 09.07.2013 को जमाकर मुदांक के साथ दाखिल किया जिसके आलोक में विपक्षीयों को दिनांक 12.09.2013 को निबंधित सूचना निर्गत की गई। सूचना पाकर विपक्षीगण कार्रवाई में उपस्थित हुए तथा अपने दावे के समर्थन में उतर पत्र दाखिल किए, उभय पक्षों के दावे प्रतिदावे पर विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते हुए इस वाद की विधिवत् सुनवाई पूर्ण की गई है।

आवेदक ने इस वाद को यह घोषित करने के लिए

28/10/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	दाखिल किया है कि मौजा– हावीडीह थाना वो अंचल बहेड़ी थाना नं0– 115 अन्तर्गत साबिक खेसरा नं0– 8569 जिससे नया खेसरा नं0– 17997 रकवा 07 डी0 जिसका हाल सर्वे खाता विपक्षीगण के पिता के नाम इन्द्राज हो गया है, अतएव उसके नाम से खारिज करते हुए कागजी साबूत एवं दखल कब्जा के आधार पर आवेदक को अधिकार घोषित किया जाय। आवेदक का कहना है कि प्रश्नगत भूमि 07 डी0 यानि 01 कट्ठा 13 धुर साबिक खेसरा 8569 के कुल रकवा 05 कट्ठा 03 धुर चौहद्दी उतर– रास्ता दक्षिण– गोसाई मंडर पूरब– नुनु मंडर पश्चिम– रास्ता वाली भूमि में से पश्चिम से संबंधित है जिस 05 कट्ठा 03 धुर में से पश्चिम से हाल सर्वे के दौरान हाल सर्वे खाता नं0 1923 खेसरा 17995 रकवा 16 डी0 आवेदक के नाम इन्द्राज किया गया एवं आंशिक का हाल सर्वे खाता नं0– 214 हाल सर्वे खेसरा नं0– 17997 रकवा 07 डी0 इन्द्राज किया गया जिसका खाता विपक्षीगण के पिता उचित मंडल के नाम कर दिया गया, जबकि साबिक भू–खण्ड को निबंधित केवाला दिनांक 08.07.1969 ई0 को सुबधी देवी पति– खुबी मंडल से हासिल है एवं सुबधी देवी को मोसमात मुखिया देवी पति– यदु मंडर व जीवछी देवी पति– बतहू मंडर से निबंधित केवाला द्वारा 17.06.1938 को हासिल था। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि केवाला की तिथि से उक्त भूखण्ड पर आज तक शांतिपर्ण ढ़ंग से दखल कब्जा चला आ रहा है तथा राजस्व भुगतान कर ये रसीद कटाते चले आ रहे हैं। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि विपक्षी द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि ''हाल सर्वे खाता उनके पिता जी के नाम इन्द्राज है इसलिए नया खेसरा 17997 रकवा 07 डी0 पर से आवेदक अपना अधिकार हटा लें,'' इस बात को लेकर उभय पक्षों के बीच बार–बार कहा सुनी हो जाती है। विपक्षी ने दिनांक 05.07.2013 को बाजबरदस्ती उक्त भूखण्ड पर दखल कब्जा करने का प्रयास किया परन्तु उनका प्रयास सफल नहीं हो सका। आवेदक ने निबंधित केवाला दिनांक 17.06.1938 मुखिया देवी वगैरह बनाम बिलट मंडर की अभिप्रमाणित प्रति की छायाप्रति एवं नया खतियान तथा जमाबन्दी सं0– 128 बनाम रामबहादुर मंडर के नाम की छायाप्रति दाखिल किया है। विपक्षीयों की ओर से दाखिल उतर पत्र में कहा	

22/10/13

की संख्या ार तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, ता,रीख–सहित
	गया है कि विवादी पुराना खेसरा की जमीन इनके पूर्वज अधीन मंडल की साबिक खतियानी रहती आई है तथा ये अधीन मंडल के पर पौत्र हैं और आवेदक या उनके पूर्वज का अधीन मंडल के वंशज हैं। यह भी कहा गया है कि मुखिया देवी वो जीवछी देवी को 17.06.1938 को क्रेता को केवाला लिखने का कोई अधिकार या हित नहीं था। विपक्षीयों ने आगे उल्लेख किया है कि अधीन मंडल को तीन पौत्र– जदू मंडल, बतहु मंडल, एंव उचित मंडल थे जिसमें जदू मंडल एवं बतहु मंडल संयुक्त अवस्था में उचित मंडल के साथ रहते मर गये और संयुक्त परिवार की पूर्ण सम्पति उचित मंडल के अधिकार एंव संरक्षण में चला गया। बतहु मंडल को एक पुत्र महावीर मंडल जो नाबालिग था। वह भी उचित मंडल के संरक्षण में हीं रहता आया। कथित केवाला 1938 होने के समय मुखिया देवी एंव जीवछी देवी भी उचित मंडल के संरक्षण में रहती आई और उनका खोरीस एवं सभी प्रकार की व्यवस्था उचित मंडल ही करते आये तथा पुराना खेसरा नं0– 8569 की सम्पूर्ण जमीन पर भाईयों यदु एवं बतहु मंडल की मृत्यु के बाद से उचित मंडल ही ता जिन्दगी दखलकार रहते आये और उनके मृत्यु के उपरान्त विपक्षीगण दखलकार रहते आये और अभी भी हैं। विपक्षीयों का दावा है कि 17.06.1938 के बयनामा के खरीदार बिलट मंडल को कथित केवाला वाली जमीन पर कभी भी हकियत वो दखल कब्जा हासिल नहीं हुआ और न हीं बिलट मंडल के किसी वारीस या सुबधी देवी को कोई हकियत वो दखल कब्जा हासिल हुआ, चुँकि अगर बिलट मंडल जीवित थे तब सुबधी देवी को केवाला लिखने का अधिकार नहीं था। सुबधी देवी को कथित केवाला दिनांक 08.07.1969 लिखने का कोई हक–हकियत वो दखल कब्जा नहीं था वो न सुबधी देवी ने कथित केवालावाली जमीन का दखल कब्जा आवेदक खरीदार को दिया और नह खरीदार आवेदक उस तौर से दखलकार हुए। इस प्रकार विपक्षीयों का कहना है कि कथित केवाला दिनांक 17.06.1938 एवं 08.07.1969 कभी भी अमल–दरामद में नहीं आई और न हीं उसके खरीदार को हकियत वो दखल कब्जा हासिल हुआ। विपक्षीयों ने आवेदक के कथित दावा को सक्षम व्यवहार न्यायालय से संबंधित बताते हुए प्रस्तुत वाद को खारीज करने का अनुरोध किया है। उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत दावे प्रतिदावे का	

10/13

देश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अनुशीलन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं के तार्किक बहस को सुना। आवेदक के द्वारा अपने कथित दावे केवाला दिनांक 08.07.1969 को जिसे कथनानुसार सुबधी देवी के द्वारा निबंधित बताया गया है के क्रेता कोन हैं स्पष्ट नहीं किया गया है तथा न उक्त केवाला को दाखिल किया गया है। जबकि दाखिल नया खतियान के अनुशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि खाताधारी उचित मंडल पिता– जगत मंडल के खाता सं0– 214 की भूमि है जिनके पुत्र विपक्षीगण हैं। इस प्रकार खतियान के आधार पर विपक्षी का दावा प्रमाणित होता है। तथा यह भी विदित होता है कि सर्वे हाल में दखल कब्जा को देखते हुए सर्वे अमला द्वारा खानापुरी तसदीक, परचा इत्यादि एवं खतियान बना तथा खतियान का अंतिम प्रकाशन भी हो गया और सर्वे की कार्रवाई वर्ष 1972–73 से शुरू हुई जिसका खतियान वर्ष 1981–82 में बँट भी गया और अंतिम प्रकाशन 2006 ई0 में हो गया, इस बीच आवेदक ने कोई कार्रवाई नहीं किया कि खतियान में गलत इन्द्राज हो गया है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षी के कब्जे दखल की भूमि रही है तथा आवेदक द्वारा आरोपित तथ्य गलत है। अतः उपर्युक्त विचारोपरान्त आवेदक का दावा सक्षम व्यवहार न्यायालय से संबंधित होने के कारण खारिज किया जाता है। "अभिलेख संचिकास्त करें।" **लेखापित एव शुद्धित** 28/08/13 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 28/08/13 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	